

दिनांक 12.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बॉदा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.05.2026 को जल जीवन मिशन के "हर घर जल, नल से जल" के अन्तर्गत जनपद बांदा में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, 2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय, बॉदा द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये :-

- 1- बैठक में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, बॉदा के कार्यरत 03 खण्डों द्वारा 08 विकासखण्डों में वर्तमान में कुल 32 जगहों पर पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे कुल 54 ग्रामों (सूची संलग्न) में पेयजलापूर्ति विगत कई सप्ताह से पूर्ण/आंशिक रूप से बाधित है। इस पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बॉदा द्वारा विभिन्न स्थलों पर कम गहराई सम्बन्धी जानकारी दी गयी, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनो विभागों को वांछित अभिलेख/सूचना का आदान-प्रदान व आपसी समन्वय स्थापित कर पाइप के उपर एक मीटर कवर होने की दशा में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड द्वारा अतिशीघ्र कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं जिन स्थलों पर पाइप के उपर एक मीटर से कम गहराई होगी। उक्त स्थल पर जल जीवन मिशन की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मरम्मत कराया जायेगा। बैठक में पोंगरी-मुकेरा मार्ग पर 05 स्थलों पर पाइप के उपर मिट्टी निकालकर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त किये जाने के प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बॉदा को तत्काल मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया है एवं भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के दौरान कम से कम स्थलों पर पाइप लाइन व गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त कर मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने व क्षतिग्रस्त होने पर कम से कम समय में मरम्मत कार्य पूर्ण कर यथाशीघ्र बाधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जायें।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, 2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)

- 2- अधिशासी अभियन्ता, केन प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, बॉदा द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड बिसण्डा, महुआ एवं नरैनी में नहर चौड़ीकरण के 250 स्थलों पर पूर्व निर्मित पुलिया को तोड़कर नये ढंग से निर्मित कराये जाने के दौरान विभिन्न पुलियों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने व पाइप लाइन निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार न बिछे होने सम्बन्धी सूचना दी गयी, के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुपालन कराया गया है, किन्तु जहाँ सम्भव नहीं था, उस स्थल पर ही पाइप लाइन पुलिया के उपर से बिछायी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनो विभागों को पुलिया तोड़ने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण कर पाइप लाइन शिप्टिंग/बेड लेवल से नीचे बिछाकर क्षतिपूर्ति कम से कम करते हुये पेयजलापूर्ति प्रभावित न होने पाये सम्बन्धी निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड/केन-बेतवा लिंक परियोजना, सिंचाई विभाग, बॉदा/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)


3- जनपद बॉदा के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजलापूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त ग्रामों के समस्त मजरों/पुरवों/बरती/आबादी वाले हिस्से में पाइप लाइन बिछायी गयी है। वर्तमान में ग्रामों में जिला/ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के विकास हेतु नाला/नाली/पुल/पुलिया का कार्य कराये जा रहे है, जिसके निर्माण के दौरान 17 ग्रामों के क्रियाशील पाइप लाइन एवं गृह जल संयोजन को क्षतिग्रस्त की सूचना प्राप्त उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, बॉदा को जल निगम (ग्रामीण) से 17 ग्रामों की वॉछित सूचना का आदान-प्रदान व आपसी समन्वय स्थापित कर नियम-शर्तों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया। यहा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायें कि क्षतिपूर्ति कम से कम समय में पूर्ण कर यथाशीघ्र बॉधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जायें। साथ जिन ग्रामों में पेयजलापूर्ति ग्रामीणों द्वारा बगैर टोटी, भैस धुलने आदि में किया जा रहा है, उसके रोकथाम हेतु ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराकर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, बॉदा/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)


4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बॉदा में खटान तथा अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना में दिन के समय केवल 04-05 घंटे विद्युत आपूर्ति होने के कारण विभिन्न ग्रामों में सांय की पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। पीक आवर प्रातः 06:00 से 09:00 बजे व सांय 04:00 बजे से 06:00 बजे तक विद्युत की कटौती विभिन्न ग्रामों में की जा रही है, जिससे कतिपय ग्रामों के अन्तिम हिस्सों में पेयजलापूर्ति नही पहुच रहा है। साथ ही खटान ग्राम समूह पेयजल योजना में छिलोलर एवं तेन्दुरा पर सी0डब्ल्यू0आर0 कम पम्प हाउस का निर्माण किया गया है, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनो पम्प हाउसों के संचालन उपरान्त 280 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जाती है, किन्तु उक्त दोनो स्थलों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने से पिछले 10 दिनों से सभी 280 ग्रामों में पेयजलापूर्ति बॉधित है, जिस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बॉदा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विद्युत लाइन में फाल्ट हो जाने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके समाधान हेतु वॉछित गैंग न होने के कारण अत्यधिक समय लग जाता है, के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बॉदा को यथाशीघ्र समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये एवं जनपद अन्तर्गत विभिन्न स्थलों का पोल अधिष्ठापन से पूर्व दोनो विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण उपरान्त कार्य कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार का पेयजल योजना संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हों। यहा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायें कि क्षतिपूर्ति कम से कम समय में पूर्ण कर यथाशीघ्र बॉधित पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित किया जायें।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल सम्बन्धी किसी भी समस्या से बचाव हेतु आपसी तालमेल, वॉछित सूचना/कार्ययोजना/ड्राइंग का समय-समय पर आदान-प्रदान, डैमेज कन्ट्रोल जल जीवन मिशन वाट्सएप ग्रुप में आये हुये मैसेज को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए समयबद्ध एवं गुणता-परक निस्तारण करना, क्षतिग्रस्त सरकारी



बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल सम्बन्धी किसी भी समस्या से बचाव हेतु आपसी तालमेल, वॉछित सूचना/कार्ययोजना/ड्राइंग का समय-समय पर आदान-प्रदान, डैमेज कन्ट्रोल जल जीवन मिशन वाट्सएप ग्रुप में आये हुये मैसेज को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए समयबद्ध एवं गुणता-परक निस्तारण करना, क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति का सम्बन्धित ठेकेदार से क्षतिपूर्ति कर विभागीय योजना का पूर्ण क्षमता पर सुचारु व सफल संचालन कराना सुनिश्चित करें।



(मदन मोहन वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या-488/W-16/45/ दिनांकित 02/06/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 5- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 6- सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ हेतु।


अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
बाँदा